

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल
धारा-4(1)(b)(viii)

अकादमी के निर्देशन एवं कार्य संचालन हेतु गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण व इनकी बैठकों में जनता की पहुंच

(Statement of Academy's Boards, Councils, Committees and others bodies constituted as its part for the purpose of its advise and accessibility for public)

अकादमी के निर्देशन एवं कार्य संचालन हेतु स्थायी और अस्थायी प्रकृति के बोर्ड, परिषदें, समितियां, निकाय गठित की जाती हैं। इनका विवरण निम्नवत है:

क्र ।	बोर्ड/परिषद का विवरण	शासनादेश संख्या	जनता तक पहुँच
1	<p>बोर्ड ऑफ गर्वर्नस</p> <ol style="list-style-type: none"> मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन - अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य निदेशक, डा0आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी - सदस्य/सचिव निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य 	<p>ज्ञाप संख्या- 567/XXX(4)/2021 -01(7)/2021, दि। 081112021 द्वारा प्रख्यापित</p>	<p>बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें केवल नामित सदस्य ही भाग लेते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य भाग ले सकते हैं। बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है जो अनुमोदन के उपरान्त अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।</p>
2	<p>संकाय अधिकारियों के निःसंवर्गीय पदों पर चयन हेतु समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन- अध्यक्ष महानिदेशक/निदेशक, अकादमी नैनीताल- सदस्य महानिदेशक/निदेशक अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट विषय विशेषज्ञ- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के अधिसूचना संख्या- 517/का-3-92-9/66 /90 दिनांक 29 फरवरी 1992 तथा अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक राजपत्रित) सेवा नियमावली के नियम-16(1) में निर्धारित।</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि स्वीकृति सार्वजनिक की जा सकती है।</p>

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल
धारा-4(1)(b)(viii)

<p>3</p>	<p>लिपिक वर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु चयन समिति</p> <p>सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक से अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/ जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य <p>पदोन्नति द्वारा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक के अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/ जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग- 3 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं.- 363/का-3-24/64/7 7 दिनांक 19 मार्च, 1983 के अन्तर्गत विज्ञापित लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के नियम, 15-16-17 में निर्धारित</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p> <p>वर्तमान में इन पदों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियाँ की जा रही हैं।</p>
<p>4</p>	<p>प्राविधिक वर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु चयन समिति</p> <p>सीधी भर्ती की प्रक्रिया: नियमावली के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से की जा रही है।</p> <p>पदोन्नति द्वारा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष 2. अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी - सदस्य 3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट - सदस्य दो राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धित पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों 	<p>कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-407/xxx(4)/2 019-01(1)/2019, दि0 01 नवम्बर, 2019</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p>
<p>5</p>	<p>वाहन चालक की सीधी भर्ती हेतु चयन समिति सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष 2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी 	<p>कार्मिक अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-590/कार्मिक- 2/2003-55(26)/200 2, दि0 13 मई, 2003 के अनुसार</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं</p>

	<p>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी।</p> <p>3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।</p> <p>4. सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।</p> <p>5. सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगा।</p> <p>परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।</p>		<p>ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p> <p>वर्तमान में इन पदों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियों की जा रही है।</p>
<p>6</p>	<p>चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती हेतु चयन समिति</p> <p>1. नियुक्ति प्राधिकारी</p> <p>2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।</p>	<p>कार्मिक अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-880/xxx(2)/2004-55(39)/2004, दि0 14 जून, 2004 के अनुसार</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं।</p> <p>समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है।</p> <p>आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p> <p>वर्तमान में समूह 'घ' का संवर्ग शासन द्वारा मृत संवर्ग में रखा गया है, जिस पर नियमित नियुक्तियों नहीं की जा रही है।</p>

7	<p>अकादमी के कार्य संचालन हेतु इकाईयों का गठन</p> <p>1. प्रशासनिक इकाई:- (प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, अधिष्ठान, लेखा, स्टोर, रिकर्ड, दफ्तरी, वरिष्ठ अनुसेवक व अनुसेवक)</p> <p>2. पुस्तकालय, प्रलेखन एवं प्रशिक्षण इकाई:- (पुस्तकालय स्टाफ, कैमरामैन, प्रशिक्षण सहायक, टंकक, पुस्तकालय/चर्चा कक्ष परिचर)</p> <p>3. सूचना तकनीकी कम्प्यूटर इकाई:- (वैयक्तिक सहायक व अनुसेवक)</p> <p>4. प्रबन्धकीय इकाई:- (स्वागती, व्यायाम प्रशिक्षक, चौकीदार, परिसर सहायक, मैस/अतिथि गृह परिचर, मैस व्यवस्थापक, मैस स्टाफ, मार्कर, इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था)</p>	<p>समय-समय पर कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>आवश्यकतानुसार इकाईयों की बैठकों में अधिकारी/इकाईयों के सदस्य भाग ले सकते हैं। इकाई का एजेन्डा व कार्यवाही सार्वजनिक होती है।</p>
8	<p>50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों हेतु स्क्रीनिंग समिति</p> <p>नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष द्वारा गठित सदस्य।</p>	<p>कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-223/ xxx(4)/2019-07(2) /2017, दिनांक 30 जुलाई, 2019 तथा इसी क्रम में संदर्भित मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-218/xxx(2) /19-55(2)/2001, दिनांक 24 जुलाई, 2019</p>	<p>समिति में निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया व आदेश सार्वजनिक होता है।</p>
9	<p>विभिन्न प्रकार की सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति</p> <p>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अधीन अकादमी स्तर पर समिति (एक सदस्यीय तथा तीन सदस्यीय समिति) का गठन किया जाता है, जिसकी संस्तुति के आधार पर सामग्री का क्रय किया जाता है।</p>	<p>समय-समय पर कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>समिति में निर्धारित सदस्य भाग लेते हैं। प्रक्रिया में भाग लेने वाले चिन्हित फर्म के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्रय की प्रक्रिया व संस्तुति अवलोकनार्थ उपलब्ध व सार्वजनिक की जाती है।</p>
10	<p>अकादमिक परिषद</p> <p>अकादमी निदेशक की अध्यक्षता में गठित अकादमी परिषद में समस्त संकाय अधिकारी सदस्य होते हैं। परिषद प्रशिक्षण</p>	<p>कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>परिषद की बैठक में सेवा प्राप्त करने वाले संगठन के प्रतिनिधि</p>

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल

धारा-4(1)(b)(viii)

	कार्यक्रमों की गुणवत्ता व प्रभाविकता के लिए कार्यक्रम की संरचना, कार्यसारिणी, विशेषज्ञों, प्रशिक्षण विधियों, पाठ्य सामग्री तथा व्यवस्थाओं के संबध में निर्णय लेती है।		भाग ले सकते हैं। व अपने सुझाव दे सकते हैं।
11	अकादमी के अधीन पंजीकृत सोसाईटी		
	1111 सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (सी।जी।जी।) सी।जी।जी। श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास गतिविधियों जिसमें प्रशिक्षण, शोध, परियोजनाएं, परामर्श कार्य सम्मिलित हैं, सेवा प्रदान करने वाली विशेषज्ञ निकाय है। मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता व अन्य सचिवों की सदस्यता में गठित यह निकाय श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास हेतु निर्देश प्रदान करता है।	सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड।	सी।जी।जी। श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में सुधार हेतु एक खुला मंच है और शासन, संगठनों, संस्थाओं, समाज के प्रतिनिधि इसकी गतिविधियों में भाग लेकर योगदान दे सकते हैं।
	1112 राज्य नगरीय विकास संस्थान (एस0आई0यू0डी0) डॉ। आर। एस। टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना शासनादेश संख्या UD3A8/28/2022 AIVA3A 109443/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023 द्वारा राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान एवं उत्कृष्ट शहरी प्रशासन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का आधुनिक परिदृश्य में बहुआयामी माध्यम से निराकरण किये जाने एवं क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन तथा परामर्श के उद्देश्य की पूर्ति के लिये संस्थान की स्थापना की गई है। अकादमी में सुरम्य केम्पस में स्थित राज्य नगरीय विकास संस्थान को अकादमी के बुनियादी ढाँचे एवं अन्य सुविधाएँ और क्षमताओं का लाभ प्राप्त होता है।	सोसायटी-रजिस्ट्रीकरण (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)	